

नौवहन मंत्रालय
मांग संख्या 87
नौवहन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1386.81	302.67	1689.48	1479.15	361.35	1840.50	1403.78	376.22	1780.00	1668.84	440.66	2109.50
<i>वसूलियां</i>	-0.80	-84.91	-85.71	...	-59.50	-59.50	...	-46.00	-46.00	...	-56.50	-56.50
<i>प्राप्तियां</i>	-279.76	...	-279.76	-250.00	...	-250.00	-280.00	...	-280.00	-280.00	...	-280.00
निवल	1106.25	217.76	1324.01	1229.15	301.85	1531.00	1123.78	330.22	1454.00	1388.84	384.16	1773.00
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	45.85	...	45.85	77.18	...	77.18	81.30	...	81.30	75.03	...	75.03
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पत्तनों का विकास												
2. महापत्तनों का विकास	...	50.59	50.59	29.01	...	29.01	37.01	...	37.01	53.01	...	53.01
3. लघु पत्तनों का विकास												
3.01 लघु पत्तनों का विकास	48.21	56.36	104.57	60.29	56.00	116.29	62.77	87.51	150.28	64.23	96.65	160.88
3.02 वसूली	-6.00	-6.00	...	-6.00	-6.00	...	-2.50	-2.50
<i>निवल</i>	<i>48.21</i>	<i>56.36</i>	<i>104.57</i>	<i>60.29</i>	<i>50.00</i>	<i>110.29</i>	<i>62.77</i>	<i>81.51</i>	<i>144.28</i>	<i>64.23</i>	<i>94.15</i>	<i>158.38</i>
4. तेल प्रदूषण, तटीय पोत परिवहन, आदि।	92.86	...	92.86	7.40	...	7.40	4.40	...	4.40	22.00	...	22.00
जोड़-पत्तनों का विकास	141.07	106.95	248.02	96.70	50.00	146.70	104.18	81.51	185.69	139.24	94.15	233.39
सागरमाला												
5. सागरमाला												
5.01 सागरमाला स्कीमें और परियोजनाएं	...	96.51	96.51	...	235.00	235.00	...	235.00	235.00	130.00	...	130.00
5.02 सागरमाला विकास कंपनी	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	...	250.00	250.00
5.03 सागरमाला के अंतर्गत अन्य स्कीमे	48.36	...	48.36	125.00	...	125.00	81.20	...	81.20	220.00	...	220.00
<i>जोड़- सागरमाला</i>	<i>48.36</i>	<i>96.51</i>	<i>144.87</i>	<i>215.00</i>	<i>235.00</i>	<i>450.00</i>	<i>171.20</i>	<i>235.00</i>	<i>406.20</i>	<i>350.00</i>	<i>250.00</i>	<i>600.00</i>
पोत और पोत निर्माण,												
6. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	7.45	...	7.45	52.00	...	52.00	2.00	...	2.00	12.00	...	12.00
अंतर्देशीय जल परिवहन												
7. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	325.11	...	325.11	416.01	...	416.01	362.31	...	362.31	303.00	...	303.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. बांग्लादेश को सहायता	8.24	...	8.24	10.00	...	10.00	8.70	...	8.70	48.00	...	48.00
जोड़-अंतर्देशीय जल परिवहन	333.35	...	333.35	426.01	...	426.01	371.01	...	371.01	351.00	...	351.00
9. वास्तविक वसूली	-0.80	...	-0.80
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	529.43	203.46	732.89	789.71	285.00	1074.71	648.39	316.51	964.90	852.24	344.15	1196.39
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
10. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	7.04	...	7.04	8.30	...	8.30	10.14	...	10.14	10.16	...	10.16
11. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	105.00	...	105.00	75.00	...	75.00	65.00	...	65.00	125.00	...	125.00
12. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	120.77	11.33	132.10	19.00	5.85	24.85	30.05	5.85	35.90	21.00	...	21.00
13. सेतु समुद्रम निगम लि. एवं अन्य	...	2.73	2.73	...	1.00	1.00	...	0.46	0.46	...	0.01	0.01
14. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम	0.57	...	0.57	0.41	...	0.41	0.71	...	0.71
15. कोलकाता पत्तन न्यास	275.55	...	275.55	162.50	2.00	164.50	192.50	2.00	194.50	192.00	10.00	202.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	508.93	14.06	522.99	265.21	8.85	274.06	298.40	8.31	306.71	348.16	10.01	358.17
अन्य												
16. नौवहन महानिदेशालय	71.46	0.35	71.81	97.05	8.00	105.05	95.69	5.40	101.09	113.41	30.00	143.41
17. दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय												
17.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	230.34	84.80	315.14	250.00	53.50	303.50	280.00	40.00	320.00	280.00	54.00	334.00
17.02 वसूली	...	-84.91	-84.91	...	-53.50	-53.50	...	-40.00	-40.00	...	-54.00	-54.00
17.03 प्राप्ति	-279.76	...	-279.76	-250.00	...	-250.00	-280.00	...	-280.00	-280.00	...	-280.00
	<i>निवल</i>	<i>-49.42</i>	<i>-0.11</i>	<i>-49.53</i>
जोड़-अन्य	22.04	0.24	22.28	97.05	8.00	105.05	95.69	5.40	101.09	113.41	30.00	143.41
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	530.97	14.30	545.27	362.26	16.85	379.11	394.09	13.71	407.80	461.57	40.01	501.58
कुल जोड़	1106.25	217.76	1324.01	1229.15	301.85	1531.00	1123.78	330.22	1454.00	1388.84	384.16	1773.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	130.58	...	130.58	73.00	...	73.00	34.05	...	34.05	35.00	...	35.00
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	422.60	...	422.60	482.50	...	482.50	478.02	...	478.02	521.40	...	521.40
3. नौवहन	176.44	...	176.44	172.05	...	172.05	160.69	...	160.69	238.41	...	238.41
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	330.72	...	330.72	326.42	...	326.42	278.42	...	278.42	225.00	...	225.00
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	42.71	...	42.71	75.18	...	75.18	79.30	...	79.30	73.03	...	73.03
6. बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	...	189.76	189.76	...	285.00	285.00	...	316.51	316.51	...	344.15	344.15
7. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	0.35	0.35	...	8.00	8.00	...	5.40	5.40	...	30.00	30.00
8. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	2.73	2.73	...	3.00	3.00	...	2.46	2.46	...	10.01	10.01
9. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	11.33	11.33	...	5.85	5.85	...	5.85	5.85

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. पत्तन और दीपस्तंभों के लिए ऋण	...	13.59	13.59
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1103.05	217.76	1320.81	1129.15	301.85	1431.00	1030.48	330.22	1360.70	1092.84	384.16	1477.00
अन्य												
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र	100.00	...	100.00	93.30	...	93.30	126.00	...	126.00
12. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3.20	...	3.20	170.00	...	170.00
जोड़-अन्य	3.20	...	3.20	100.00	...	100.00	93.30	...	93.30	296.00	...	296.00
कुल जोड़	1106.25	217.76	1324.01	1229.15	301.85	1531.00	1123.78	330.22	1454.00	1388.84	384.16	1773.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
1. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	...	8.34	8.34	4.00	29.31	33.31	4.00	29.99	33.99	10.00	27.28	37.28
2. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	...	106.24	106.24	...	35.00	35.00	...	67.00	67.00	...	85.00	85.00
3. बोचिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट	27.00	411.77	438.77	15.00	145.63	160.63	15.00	96.84	111.84	15.00	283.75	298.75
4. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट	...	306.11	306.11	...	300.00	300.00	...	562.38	562.38	...	1850.30	1850.30
5. न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट	...	86.71	86.71	...	71.05	71.05	...	71.05	71.05	...	95.00	95.00
6. चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट	10.00	68.37	78.37	5.00	45.00	50.00	5.00	180.00	185.00	10.00	107.00	117.00
7. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	...	80.53	80.53	...	300.62	300.62	...	301.00	301.00	...	498.12	498.12
8. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	...	99.31	99.31	...	132.97	132.97	...	130.18	130.18	...	393.90	393.90
9. मुरमुगाव पोर्ट ट्रस्ट	...	73.03	73.03	5.00	239.81	244.81	5.00	91.51	96.51	10.00	24.54	34.54
10. विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट	13.59	158.08	171.67	...	231.61	231.61	...	224.42	224.42	...	134.73	134.73
11. कामराजार पोर्ट ट्रस्ट	...	298.17	298.17	...	250.00	250.00	...	500.00	500.00	...	400.00	400.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	50.59	1696.66	1747.25	29.00	1781.00	1810.00	29.00	2254.37	2283.37	45.00	3899.62	3944.62
परिष्करण तथा विपणन सेक्टर												
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	76.90	76.90	...	116.00	116.00	...	116.00	116.00	...	507.00	507.00
14. शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया	...	14.00	14.00	...	219.09	219.09	...	957.00	957.00
15. ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया	...	26.68	26.68	...	15.96	15.96	...	34.03	34.03	...	325.59	325.59
जोड़-परिष्करण तथा विपणन सेक्टर	...	117.58	117.58	...	351.05	351.05	...	1107.03	1107.03	...	832.59	832.59
इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट												
12. इनलैंड वाटरवे अथारिटी आफ इंडिया	325.11	...	325.11	416.01	1000.00	1416.01	362.31	1000.00	1362.31	303.00	...	303.00

	बजट			बजट			बजट			(₹ करोड़)		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
जोड़-इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट	325.11	...	325.11	416.01	1000.00	1416.01	362.31	1000.00	1362.31	303.00	...	303.00
स्वायत्त निकाय												
16. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	132.10	...	132.10	24.85	...	24.85	35.90	...	35.90	21.00	...	21.00
17. सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड	2.73	...	2.73	1.00	...	1.00	0.46	...	0.46	0.01	...	0.01
18. सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	325.68	...	325.68	416.42	...	416.42	363.02	...	363.02	303.00	...	303.00
19. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	51.09	51.09	...	73.47	73.47	...	70.04	70.04
20. प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण	7.04	...	7.04	8.30	...	8.30	10.14	...	10.14	10.16	...	10.16
21. इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी	105.00	...	105.00	75.00	...	75.00	65.00	...	65.00	125.00	...	125.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	572.55	...	572.55	525.57	51.09	576.66	474.52	73.47	547.99	459.17	70.04	529.21
जोड़	948.25	1814.24	2762.49	970.58	3183.14	4153.72	865.83	4434.87	5300.70	807.17	4802.25	5609.42

- सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय में व्यय हेतु है।
- महापत्तनों का विकास:** यह प्रावधान पत्तनों के विकास के लिए है जिसमें कोचीन पत्तन न्यास, चेन्नई पत्तन न्यास और मुरगांव पत्तन न्यास की परियोजनाएं शामिल हैं।
- 3.01. लघु पत्तनों का विकास:** इसमें अंडमान, लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स को सहायता शामिल है, जो पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है।
- तेल प्रदूषण, तटीय पोत परिवहन, आदि:** तटीय पोत परिवहन घाट आदि- यह प्रावधान 14 तेल संभलाई महापत्तनों और गैर महापत्तनों पर ऑयल पोल्यूशन रिस्पांस (पीआर) एक्विपमेंट टीआर -1 ऑयल स्पिल इन पोर्ट वॉटर) को खरीदने के लिए और अनुसंधान तथा विकास योजना पर व्यय के लिए भी है।
- सागरमाला:** यह प्रावधान तटीय आर्थिक जोनों जो चरण-1 में लिए जाने हैं, तटीय घाटों के विकास के लिए सहायता और अद्वितीय एवं आधुनिक परियोजनाओं के विकास के लिए एवं सागरमाला के अंतर्गत तटीय समुदाय विकास परियोजना के विकास के लिए है। इस प्रावधान में एस पी वी परियोजना तथा सागरमाला के अंतर्गत शेष परियोजनाओं को वित्तपोषण के अंतर्गत पहचानी गई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई सागरमाला विकास कंपनी के लिए बजटीय आवंटन भी शामिल है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत पहचानी गई परियोजनाओं से आगामी 10 वर्षों के दौरान 8 लाख करोड़ से अधिक अवसंरचना निवेश, मॉडल मिक्स में घरेलू जलमार्गों (अंतर्देशीय और तटीय) के हिस्से की दुगुनी निधि जुटाने, 35000-40000 करोड़ रु प्रतिवर्ष की लाजिस्टिक लागत बचत होने, 110 बिलियन यू एस डी की मर्कडाइज़ निर्वात बढ़ने तथा एक करोड़ नए रोजगार सृजित होने की प्रत्याशा है, जिसमें 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन शामिल है।
- पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास योजनाओं हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए किया गया है। इसमें रक्षा पी एस यू शिपयार्ड को छोड़कर सभी भारतीय शिपयार्ड के लिए आर्थिक सहायता का भुगतान भी शामिल है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन अक्टूबर, 1986 में पोत परिवहन और नौचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। आई डब्ल्यू ए आई प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय जलमार्गों के अवसंरचना विकास और विनियमन का कार्य करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1-5 में आई डब्ल्यू टी विकासोत्तमक गतिविधियां कार्यान्वित कर रहा है।
- बांग्लादेश को सहायता:** इसमें बांग्लादेश सरकार के साथ ट्रांजिट तथा व्यापार करार से होने वाले व्यय को पूरा करने का प्रावधान शामिल है।
- महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** महापत्तनों आदि के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान
- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान वेतन तथा भत्तों एवं संस्थान को चलाने से संबंधित व्ययों को पूरा करने के लिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए है।
- हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.:** यह प्रावधान संसाधनों के अंतर को पूरा करने तथा एचडीपीईएल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर होने वाले व्यय को पूरा करने और आयकर देयताओं का भुगतान करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए एचडीपीईएल को ऋण सहायता हेतु है।
- केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम:** यह प्रावधान केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के प्रति तथा कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु अनुदान मांग के लिए है।

15. **कोलकाता पत्तन न्यास:** यह प्रावधान हल्दिया जलमार्ग तथा हुगली नदी में कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा अनुरक्षण तथा तलकर्षण हेतु सडिसडी के भुगतान के लिए है।

16. **नौवहन महानिदेशालय:** यह प्रावधान नौवहन महानिदेशालय की स्थापना के लिए हैं, जो वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह वाणिज्यिक पोत परिवहन कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए विनियामक कार्य करता है। यह निदेशालय नाविक के कल्याण का भी ध्यान रखता है। यह प्रावधान समुद्री आपातकालीन निधि, बालास्ट वाटर मैनेजमेंट स्कीम और डीजी शिपिंग की ऑन लाइन परीक्षा व्यय तथा आई टी के लिए भी निधि प्रदान करता है।

17.01. **दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय:** दीपस्तंभ तथा दीप पोत संगठन सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो नेविगेशन से संबंधित सहायता, जैसेकि दीपपोतों, ध्वनि संकेतों, उल्लवन, रेडियो बीकन, आदि उपलब्ध कराता है। यह पोतों के मार्गदर्शन के लिए दीप स्तंभों का निर्माण तथा रखरखाव संबंधी कार्य भी करता है। दीपस्तंभों और नेविगेशन संबंधी अन्य सुविधाओं के निर्माण तथा विकास पर पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान करता है। इसकी पूर्ति भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 के अनुसार प्रकाश बकायों से की जाती है।